

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(15)राज/वाद/24


जयपुर, दिनांक 08-01-2025

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री मनोहर लाल दक, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/120/1979) को जिला एवं सेशन न्यायालय, चित्तौडगढ में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चित्तौडगढ के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।


श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चित्तौडगढ को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित जिला कलक्टर।
- 9 संबंधित कोषाधिकारी।
- 10 संबंधित अभियोजक।
- 11 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।


08.01.2025
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(15)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 08-01-2025

:: आदेश ::


दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अनुसरण में तथा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 (सी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री उमाशंकर दाधीच, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/59/2013) को विशिष्ट न्यायालय (एन.डी.पी.एस.एक्ट मामलात) सं02, चित्तौड़गढ़ में राज्य पक्ष की ओर से आपराधिक प्रकरणों की पैरवी व अभियोजन पक्ष का संचालन करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.एक्ट मामलात) सं02, चित्तौड़गढ़ के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


08.01.2025
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(15)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 08-01-2025

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं04 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	विशिष्ट न्यायालय पोक्सो सं01, चित्तौड़गढ़	श्री गोपाल लाल जाट (आर/2194/2004)	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सं01, चित्तौड़गढ़
2	विशिष्ट न्यायालय पोक्सो सं02, चित्तौड़गढ़	श्री शिवराज सिंह राठौड़ (आर/2040/2003)	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सं02, चित्तौड़गढ़

निम्नांकित विशिष्ट लोक अभियोजकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री शोभा लाल जाट	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सं01, चित्तौड़गढ़
2	श्री अफजल मोहम्मद शेख	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सं02, चित्तौड़गढ़

आज्ञा से

ह
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(15)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 08-01-2025


:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं04 में वर्णित पद पर मासिक रिटैनेरशिप रुपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं02, चित्तौड़गढ़	सुश्री ममता जीनगर (आर/1969/2015)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, चित्तौड़गढ़
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं01 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़	श्री कमलाशंकर उर्फ कमलेश श्रीमाली (आर/1012/1997)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं02 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़	श्री आशीष नागौरी (आर/2273/2005)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बैंगू जिला चित्तौड़गढ़	श्री कैलाशचन्द्र धाकड़ (आर/1509/2004)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बैंगू जिला चित्तौड़गढ़
5	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, कपासन जिला चित्तौड़गढ़	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (आर/2747/2008)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री अब्दुल सत्तार खान	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, चित्तौड़गढ़
2	श्री फहीम खान बख्शी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3	श्री अरविन्द कुमार भारतीय	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़


08.01.2025

4	श्री फरीद मोहम्मद मिर्जा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बैंगू जिला चित्तौड़गढ़
---	--------------------------	------------------------------------------------------------

आज्ञा से

रू०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि श्री आशीष नागौरी, अधिवक्ता को अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के पद पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व इनसे राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 16 के तहत घोषणा पत्र प्राप्त कर मूल ही इस विभाग को भिजवायें।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

08.01.2025
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि